



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ: प्लेक्स/सर्किट/420

दिनांक: 24 अगस्त 2026

को

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: विदेश व्यापार नीति, 2023 के अनुच्छेद 1.25 में संशोधन।

संदर्भ: डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 33/2026-27 दिनांक 21.08.2026

हम आपको एफटीपी, 2023 के पैरा 1.25 के अन्य प्रावधानों के अधीन, पैरा 1.25-स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेशन में संशोधन के संबंध में जारी उपरोक्त अधिसूचना के बारे में सूचित करना चाहते हैं, जिसके तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किन्हीं दो में निर्यात प्रदर्शन करने वाले आवेदकों को वन स्टार एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा प्रदान किया जा सकेगा।

केंद्र सरकार एफटीपी, 2023 के पैरा 1.25 (डी) में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है:

मौजूदा पैरा 1.25 (डी)	संशोधित अनुच्छेद 1.25 (घ)
दर्जा प्रदान करने के लिए, पिछले तीनों वित्तीय वर्षों में निर्यात प्रदर्शन आवश्यक होगा। (और रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए पिछले दोनों वित्तीय वर्षों में भी यही स्थिति रही है)	दर्जा प्रदान करने के लिए, पिछले तीनों वित्तीय वर्षों में निर्यात प्रदर्शन आवश्यक होगा (और रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए पिछले दोनों वित्तीय वर्षों में निर्यात प्रदर्शन आवश्यक होगा)। हालांकि , वन स्टार एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा प्राप्त करने के लिए (रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को छोड़कर), पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किन्हीं दो वित्तीय वर्षों में निर्यात प्रदर्शन पर्याप्त होगा।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे यहां दी गई आधिकारिक अधिसूचना देखें:

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/202608241208_48.pdf

यह सूचना के लिए है।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकौन्सिल